


9.12.20

उपरोक्त पत्र को कृपया ध्यान दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं है उक्त लख जमींदारी संग्रहण का प्रकाश जारी है पत्रांक 9627 दिनांक 4-12-20 प्राप्त शासन मिलल है। उपरोक्त ने सूचना प्राप्त न होने का यह किताब है जबकि उ. उ. उ. संग्रहण न कर 6(3) में बहलीयता, संग्रहण के प्रमाण अन्तर्गत करना चाहिए किताब ही बहलीयता संग्रहण के लिए जावे कि सूचना दी जा चुकी है तो तदनुसार उपरोक्त के लिए कर और यदि अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो एक पत्रांक में सूचना उपरोक्त को सौंपा जावे कि किताब संग्रहण गता।


 सति. कलेक्टर (द्वितीय)
 जयपुर

S.O. संग्रहण
 नं. 44/20
 9627
 4-12-2020
 पृष्ठ 1

सिंग्रहण
 नं. 1311-10
 14-12-2020